राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.7 (198)परि/नियम/मु./2010/15043 जयपुर, दिनांक :– 06/08/2015

कार्यालय आदेश 27/2015

वर्तमान में परिवहन कार्यालयों द्वारा अग्रिम पंजीयन क्रमांक आवंटित किये जाते हैं। विभिन्न कार्यालयों द्वारा अग्रिम पंजीयन क्रमांक आवंटन की गणना के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जाता रहा है। इस हेतु स्पष्ट आदेश न होने के फलस्वरूप भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

अतः इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि वाहन विक्रेताओं को आवंटित पंजीयन क्रमांक को भी कार्यालय में आवंटित पंजीयन क्रमांक की तरह ही व्यवहारित किया जाकर अग्रिम पंजीयन क्रमांक आवंटन किया जावे अर्थात् सीमा का निर्धारण डीलर्स को आवंटित पंजीयन क्रमांकों को नियमित पंजीयन क्रमांक माना जाकर अग्रिम पंजीयन क्रमांक आवंटन किया जावे। उदाहरणार्थ – यदि जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर की अग्रिम पंजीयन आवंटन सीमा 5000 है तथा जिला परिवहन कार्यालय द्वारा वर्तमान में पंजीयन क्रमांक 1000 से 6000 विभिन्न डीलर्स को उनके द्वारा विक्रित किये गये वाहनों के पंजीयन हेतु आवंटित किए हो। अब यदि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा 1000 पंजीयन क्रमांक आवंटन कर दिये गये हो तो अग्रिम पंजीयन आंवटन सीमा की गणना पंजीयन क्रमांक 6000 से अग्रिम 5000 तक की जाएगी।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

क्रमांक :– प.7 (198)परि/नियम/मु./2010/15044-049 जयपुर, दिनांक : 06.08.15

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण .....।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (जोन) .....।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी .....।
5. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्राग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

E:\Komal Prajapat\Others\Office Order

माना कि किसी पंजीयन कार्यालय में अग्रिम पंजीयन क्रमांक आवंटन हेतु 5000 की सीमा निर्धारित की गयी है। इस कार्यालय में 0001 से 0250 तक के पंजीयन क्रमांक नियमित पंजीयन प्रक्रिया के अंतर्गत जारी किए जा चुके हैं। इस प्रकार जिस दिन 0250 क्रमांक जारी किए गए हैं इस पंजीयन अधिकारी के समक्ष 0251 से 5250 तक अग्रिम क्रमांक जारी करने के विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन यदि पंजीयन अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के डीलर्स को 1001 से 3000 तक के क्रमांक आवंटित किए जा चुके हैं तो उपरोक्त 2000 (1001 से 3000 तक) पंजीयन क्रमांक पंजीयन अधिकारी के पास अग्रिम पंजीयन हेतु उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार निर्धारित सीमा 5000 की सीमा के अनुसार (5250 + 2000) 7250 तक के पंजीयन क्रमांक का विकल्प माना जाएगा। ऐसी स्थिति में अग्रिम पंजीयन क्रमांक की उपलब्धता 0251 से 1000 = 750 एवं 3001 से 7250 = 4250 कुल 750 + 4250 = 5000 होंगे। उपरोक्तानुसार डीलर्स को आवंटित क्रमांक को घटाकर अग्रिम सीमा की गणना की जाएगी।